संख्या - क0 नि0 - 5-3792 / 11-2000-500 (57) / 99

प्रेषक,

टी0 जार्ज जोसेफ
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन |

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी ,
उत्तर प्रदेश
कर एंव निबंधन अनुभाग - 5 लखनऊः दिनांक 07 जुलाई 2000

विषय- कलेक्टर द्वारा जारी अचल सम्पत्तियों की द्विवार्षिक मूल्यसूची में भूमि पर खडे पेड़ों के मूल्य आगणन का प्राविधान न करने के संबंध मे |

महोदय ,

कार्यलय वन संरक्षक एंव क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र मेरठ के स्थायी आदेश संख्या - 1/22-3 दिनांक 16-07-1995 निदेशालय उद्यान एंव खाद्य प्रसंस्करण् (म0क्षे0) उत्तर प्रदेश ,लखनऊ के पत्रांक -2154 दिनांक 09 01 1994 तथा

अन्य आदेशो मे वृक्षो - फलदार, जलाऊ के बाजार मूल्य आगणन की विधि बताई गई है |किन्तु इस संबंध मे शासन के संज्ञान मे यह तथ्य लाया गया है कि भूमि पर खड़े पेड़ो का मूल्यांकन विभिन्न जनपदो मे विभिन्न विधियो से किया जा रहा है |कुछ जनपदो मे कलेक्टर द्वारा प्रख्यापित मूल्य सूचियो मे पेड़ो के मूल्यांकन की व्यवस्था है और कुछ मे नही | इस प्रकार की स्थिति का लाभ उठाकर विभिन्न रजिस्ट्री कार्यालयों में विलेखों की रजिस्ट्री के समय पक्षकारों के उत्पीड़न की शिकायतें भी शासन को प्राप्त हुई है |

2. शासन मे उपरोक्त प्रकरण का परीक्षण किया गया है | सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि चूंकि वृक्षो के गलत मूल्यांकन से स्टाम्प शुल्क प्राप्ति पर कोई भारी प्रभाव नही पड़ता है और पक्षकारों का उत्पीड़न बन्द कराकर इसमें निहित भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाना अत्यावश्यक है अतः पक्षकार लेखपत्र में वृक्ष /बाग जलाऊ लकड़ी तथा फलदार वृक्ष का जो बाजार मूल्य सूचित कर रहे है और जो स्टाम्प दे रहे है उसे ही उचित मान लिया जाये तथा वृक्षों के बाजार मूल्य अवधारण हेतु लेखप्रत्र को कलेक्टर को संदर्भित न किया जाये |

3- कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें|

भवदीय
(टी0जार्ज जोसेफ)
प्रमुख सचिव

संख्या- क0नि0-5-3792(1)/11-2000 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद|
2- समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) उत्तर प्रदेश|
3- समस्त उप / सहायक महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तर प्रदेश|

आज्ञा से

(यू0के0 एस0 चौहान)

विशेष सचिव